श्रीमान जी,

2022/190

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश कमांकः–पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी रामप्रताप पुत्र रामभज जाति अग्रवाल निवासी 25–26 उद्योग बाजार केनरा बैक के सामने श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस का शपथ पत्र, आई डी प्रूफ एवं मूल रसीद पेश कर निवेदन किया है कि मेरे पिता रामभज पुत्र गणेशीलाल जाति अग्रवाल निवासी 25–26 उद्योग बाजार केनरा बैक के सामने श्रीगंगानगर ने दिनांक 22.02.2007 को वसीसत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 26.08.2021 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 22.02.2007 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को गवाहान संदीप डालमिया पुत्र गोरीशंकर एवं राजेश गोयल पुत्र ओमप्रकाश ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री पवन कुमार ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है।
अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।
जिला पंजीयक महोदय

8/6/22

(पवन कुमार स्वामी)
Adv